

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:प.18(13)नविवि/जयपुर/2016/

जयपुर, दिनांक: 15.02.18

सचिव,

जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,

जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं

समस्त नगर विकास न्यास।

Const. TP (or) ²⁰⁰⁰ ^{17/7/18} ^{17/7/18} ^{17/7/18}

विषय: एकीकृत भवन विनियम-2017 के विनियम 8.12 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 22.06.17 के अनुरूप निर्धारित सीमा अर्थात 20,000 वर्गमीटर एवं उससे अधिक निर्मित क्षेत्र पर पर्यावरण विभाग से अनापत्ति लिये जाने का प्रावधान बिन्दु संख्या 2 में स्पष्ट किया हुआ है। अतः पत्र दिनांक 15.02.18 में पर्यावरण विभाग से पूर्वानुसार अनापत्ति लिये जाने का आशय विभागीय पत्र 22.06.17 के बिन्दु संख्या 2 के अनुरूप होगा।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव
दिनांक:

क्रमांक:प.18(13)नविवि/जयपुर/2016/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर को उनके अधीन स्थानीय निकायों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जाने हेतु।
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

ATP BPC-BP I/II

20/7/18

17/7/18
17/7/18
17/7/18